

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2018/727

दिनांक 04/05/18

प्रेषित :-


तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व वाद सं. 71/12 अनवान गंगा बनाम भैरा वगैरा में पारित में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 02.05.18 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकॉर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंगन :- निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।




सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इबतदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendlax 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री मूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.
अनवान

वादी - 1.गंगा पुत्र मरूआ, जाति भील, निवासी ताजासर (तारातरा)
तहसील चौहटन, जिला बाङ्मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.भैरा पुत्र सुखा जाति भील, निवासी ताजासर (तारातरा)
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री पवन धारीवाल
प्रतिवादीगण वकील - श्री वीरमाराम धारासर

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 71/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री पवन धारीवाल एड. मिनजानिब मुदाई व श्री वीरमाराम धारासर एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम ताजासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 693 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 694 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 1185/695 रकबा 187.02 बीघा, कुल रकबा 187.11 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि_सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज
..... मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह
..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक
को अदा करे।



वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02.05.2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
				मीजान	
	मीजान				

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	गंगा वल्द मरुआराम, कौम भील सा.देह खातेदार	ताजासर	693 694 1185 / 695	00.04 00.05 93.07	गै.मु. गै.मु. बा.दो.	4.67	हरा
		योग	3	93.16	---	4.67	हरा
2	गवरी देवी पत्नी चौथाराम, भेराराम पुत्र चौथाराम, गवरी देवी पत्नी चौथाराम, कौम भील, सा.देह खातेदार	ताजासर	1185 / 695	93.15	बा.दो.	4.69	लाल
		योग	1	93.15	बा.दो.	4.69	लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(Signature)
(भूपेन्द्र कुमार यादव)

सहायक सहायक कलक्टर एवं
\ (S) उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 71/2012

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

वादी - 1.गंगा पुत्र मरूआ, जाति भील, निवासी ताजासर (तारातरा)
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.भैरा पुत्र सुखा जाति भील, निवासी ताजासर (तारातरा)
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री पवन धारीवाल
प्रतिवादीगण वकील - श्री वीरमाराम धारासर

अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.


निर्णय

दिनांक :- 02.05.2018



पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प तारातरा में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित हुआ। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी को मजमे आम सुना गया। वादी ने तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा ताजासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 693 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 694 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 1185/695 रकबा 187.02 बीघा, कुल रकबा 187.11 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।



सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	गंगा वल्द मरूआराम, कौम भील सा.देह खातेदार	ताजासर	693 694 1185/695	00.04 00.05 93.07	गै.मु. गै.मु. बा.दो.	4.67	हरा
		योग	3	93.16	—	4.67	हरा
2	गवरी देवी पत्नी चौथाराम, भेराराम पुत्र चौथाराम, गवरी देवी पत्नी चौथाराम, कौम भील, सा.देह खातेदार	ताजासर	1185/695	93.15	बा.दो.	4.69	लाल
		योग	1	93.15	बा.दो.	4.69	लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.18 को राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2018 को न्यायालय कैम्प तारातरा मे सुनाया गया।




 (भूपेन्द्र कुमार यादव)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन

